राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

सं. एफ. 2/08/2020/एस–1/पार्ट–फा0/194 दिनांकः 24.05.2020

आदेश

जबकि, दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) संतुष्ट है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कोविड–19 महामारी के संक्रमण का खतरा है जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा पहले ही वैश्विक महामारी घोषित किया जा चुका है और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में इस संक्रमण को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाने के लिए इसे आवश्यक समझा गया है।

और जबकि, दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा परिस्थिति से निबटने के लिए समस्त अपेक्षित उपाय अपनाने कि लिए सर्वसंबंधित प्राधिकारियों को समय–समय पर विभिन्न आदेश/निदेश दिए गए हैं।

और जबकि, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के दिनांक 24–5–2020 (प्रतिलिपि संलग्न) ने घरेलू यात्रा (हवाई/ट्रेन/अंतर–राज्य बस यात्रा) के लिए दिशा–निर्देश जारी किए हैं।

अब, इसलिए दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के आदेश संख्या 176 दिनांक 18.5.2020 और आदेश सं0 191 दिनांक 23.5.2020 के अनुक्रम में और आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 22 के तहत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में, राज्य कार्यकारिणी समिति, दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अध्यक्ष के रूप में, अद्योहस्ताक्षरी द्वारा संबंधित सभी अधिकारियों को निर्देश दिये जाते हैं कि वे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी किए गए दिनांक 24.5.2020 के दिशा–निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करें और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार आवश्यकता होने पर इन दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन के लिए एसओपी जारी करें।

(विजय देव)
मुख्य सचिव, दिल्ली.

प्रतिलिपि अनुपालनार्थ :–

1. अध्यक्ष, भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण।
2. महा निदेशक, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो।
3. महाप्रबंधक, उत्तर रेलवे।
4. पुलिस आयुक्त, दिल्ली।
5. अध्यक्ष, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद्।
6. प्रधान सचिव (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
7. सचिव–सह–आयुक्त (परिवहन), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
8. आयुक्त (दक्षिण दिल्ली नगर निगम/पूर्व दिल्ली नगर निगम/उत्तर दिल्ली नगर निगम)।
9. प्रबंध निदेशक, दिल्ली परिवहन निगम।
10. सीईओ, दिल्ली छावनी बोर्ड।
11. समस्त जिला मजिस्ट्रेट, दिल्ली।
12. समस्त जिला उपायुक्त पुलिस, दिल्ली।

13. निदेशक, सूचना एवं प्रचार निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को व्यापक प्रचार हेतु।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ :–

1. नि.स. माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, भारत सरकार।
2. नि.सं. माननीय रेल मंत्री, भारत सरकार।
3.. नि0स. माननीय राज्य मंत्री (आई/सी), सुरक्षा ब्यूरो, भारत सरकार।
4. प्रधान सचिव, माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली।
5. अपर सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
6. सचिव, माननीय उप–मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
7. सचिव, माननीय राजस्व मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
8. सचिव, माननीय स्वास्थ्य मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
9. सचिव, माननीय श्रम मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
10. सचिव, माननीय समाज कल्याण मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
11. सचिव, माननीय खाद्‌य एवं आपूर्ति मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
12. अपर मुख्य सचिव (गृह), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
13. प्रधान सचिव (राजस्व)–सह–मंडलीय आयुक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
14. समस्त सदस्य राज्य कार्यकारी समितिए डीडीएमए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
15. सिस्टम अनेलिस्ट, मंडलीय आयुक्त दिल्ली का कार्यालय, दिल्ली सरकार की ddma.delhigovt.nic.in. वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
16. गार्ड फाइल।